संख्या-16/2020/561/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी.

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2020**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-01/लेखा-बजट/2020-21, दिनांक 07 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23(राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त अधिष्ठान, क्षेत्रीय कार्यालय एवं गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढ़ीकरण से सम्बन्धित वेतन भत्ते एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू.21812.54 लाख मतदेय तथा रू. 2.00 लाख भारित अर्थात कुल धनराशि रू.21814.54 लाख के सापेक्ष धनराशि **रू. 21531.55 लाख (रूपये दो अरब पन्द्रह करोड़ इक्कतीस लाख पचपन हजार मात्र)** इस शासनादेश के संलग्नक में यथाउल्लिखित विभिन्न मानक मदों के लिए अंकित धनराशि के विवरण के अनुसार, व्यय किये जाने की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2401-फसल कृषि कर्म" के अन्तर्गत, **संलग्नक में अंकित**, संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020 /बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2020/561(1)/46-1-20-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-संख्या-16/2020/561/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी.दिनांक: 15 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

क्रमांक	लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)
अ-	**2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान**		
1	01-वेतन	927.00	927.00
2	02-मजदूरी	1.25	1.25
3	03-महँगाई भत्ता	231.75	231.75
4	06-अन्य भत्ते	2.50	2.50
5	09-विद्युत देय	45.00	45.00
6	10-जलकर /जलप्रभार	0.35	0.35
7	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	10.00
8	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.00	18.00
9	55-मकान किराया भत्ता	67.00	67.00
10	56-नगर प्रतिकर भत्ता	13.00	13.00
11	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
	योगः 001/03	**1325.85**	**1325.85**
ब-	2401-**फसल कृषि कर्म** 001-**निदेशन तथा प्रशासन** 04-**क्षेत्रीय कार्यालय**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
1	01-वेतन	556.00	556.00
2	03-महँगाई भत्ता	139.00	139.00
3	06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
4	09-विद्युत देय	6.00	6.00
5	10-जलकर /जलप्रभार	0.20	0.20
6	13-टेलीफोन पर व्यय	1.25	1.25
7	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	2.50
8	55-मकान किराया भत्ता	35.00	35.00
9	56-नगर प्रतिकर भत्ता	5.00	5.00
	योगः 001/04	**745.95**	**745.95**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

स-	**2401-फसल कृषि कर्म** **108-वाणिज्यिक फसलें** **04-गन्ने की खेती के विकास तथा उसके प्रगाढीकरण की योजना**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
1	01-वेतन	15000.00	15000.00
2	03-महँगाई भत्ता	3750.00	3750.00
3	06-अन्य भत्ते	40.00	40.00
4	09-विद्युत देय	20.00	20.00
5	10-जलकर /जलप्रभार	1.00	1.00
6	13-टेलीफोन पर व्यय	4.75	4.75
7	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
8	55-मकान किराया भत्ता	610.00	610.00
9	56-नगर प्रतिकर भत्ता	30.00	30.00
	योग- 108/04	**19459.75**	**19459.75**
	महायोगः 2401- (अ+ब+स)	**21531.55**	**21531.55**

(रूपये दो अरब पन्द्रह करोड़ इक्कतीस लाख पचपन हजार मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है